संख्या–क0नि0–5–2204/11–5–2010–500 (19)/2010

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः .9 जून, 2010

विषयः अनिबन्धित लेखपत्रों की प्रतियां स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क राज्य की राजस्व आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस आयका लक्ष्य रू0 5,737 करोड़ निर्धारित किया गया है जो कि गत वर्ष की उपलब्धि की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक है। कराधान को सरलीकृत करने के लिए देय स्टाम्प दरों में गत वर्षों में कमी की गई है तथा राज्य के विकास हेतु बहुत सी योजनाओं में स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान की गई है। अस्तु, इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया है कि करापवंचन के समस्त सम्भावित स्रोंतो को बन्द किया जाये, जिससे राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

2. विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण से अन्य शासकीय विभागों में गत वर्षों में बड़ी संख्या में ऐसे अनिबन्धित लेख पत्र संज्ञान में आये जो कि समुचित रूप से स्टाम्पित नहीं थे और उन पर बड़ी राशि में स्टाम्प कमी पायी गई थी। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 के अन्तर्गत प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी जिसके समक्ष उसके कर्तव्यों के सम्पादन में कोई ऐसा अभिलेख प्रस्तुत किया जाये या आ जाये, जो स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य हो परन्तु यथाविधि स्टाम्पित न हो, तो वह उसे जब्त करेगा अर्थात अग्रेतर कार्यवाही रोककर मूल विलेख कलेक्टर स्टाम्प को संदर्भित करेगा। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने इस अधिनियम संगत कर्तव्य का अनुपालन पूरी तरह नहीं किया जा रहा है।

3. रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अन्तर्गत स्वत्व एवं अधिकारों से सम्बन्धित विलेखों के निबन्धन को अनिवार्य बताया गया है। इस अधिनियम की धारा 49 के अनुसार जिन विलेखों का निबन्धन आवश्यक है, यदि वे निबन्धित नहीं कराये गये हैं तो उन्हें साक्ष्य के रूप में ग्राहय नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 35 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे विलेख को जो स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य हो, साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि यह ऐसे व्यक्ति द्वारा अथवा किसी सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा उसको क्रियान्वित, रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणित नही किया जायेगा, जब तक कि वह अभिलेख यथाविधि स्टाम्पित नहीं है। विभागीय अधिकारियों के निरीक्षणों में पाये गये अनिबन्धित लेख पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न अधिकारियों द्वारा अधिनियम की मंशा के विपरीत अनिबन्धित लेख पत्रों को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

4. यह भी तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अधिकारियों द्वारा विलेखों की प्रतियां मांगे जाने पर कतिपय विभागों द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं कराय जा

रहा है, जो सर्वथा उचित नहीं है। यह इंगित करता है कि सम्बन्धित अधिकारी जिसके समक्ष यह विलेख उसके शासकीय दायित्वों के निर्वहन के समय प्रस्तुत हो रहे हैं स्टाम्प करापवंचन को रोकने में सहग नहीं हैं अथवा वे अपरोक्ष रूप से करावंचन में सहयोग दे रहे है, जिसके कारण प्रदेश सरकार को शासकीय राजस्व की क्षति हो रही है।

5. उक्त पृष्ठभूमि में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे आपको एतद्द्वारा निम्न निर्देश दिये जाने की अपेक्षा की गयी है :

1. प्रत्येक लोक अधिकारी (Public servant) अपने समक्ष माह में प्रस्तुत होने वाले समस्त अनिबंधित लेखपत्रों की छायाप्रति अगले माह के 10 तारीख से सपूर्व जनपद के सहायक आयुक्त स्टाम्प को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर विवरण सहित स्टाम्प देयता की जॉच हेतु प्रेषित करेंगे। किसी माह में कोई प्रलेख प्रस्तुत न होने पर भी निर्धारित प्रारूप पर माह की सूचना शून्य प्रेषित की जायेगी।

2. सहायक आयुक्त स्टाम्प उक्त लेखपत्रों में स्टाम्प देयता की जॉच करेगे तथा अपर्याप्त/अस्टाम्पित लेखपत्रों पर स्टाम्प वसूली हेतु स्टाम्प वाद कायम करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा पर्याप्त स्टाम्पित लेखपत्रों की प्रतियां सम्बन्धित विभाग को वापस कर देंगे।

3. प्रत्येक जिलाधिकारी कर एवं करेत्तर राजस्व की साप्ताहिह समीक्षा बैठक में उक्त कार्यवाही की समीक्षा करेंगे तथा यदि किसी विभाग से सूचना प्राप्त नहीं हो रही हो तो उसके विरूद्व आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

4. प्रत्येक मण्डलायुक्त उक्त कार्यवाही का अनुश्रवण अपनी कर एवं निबन्धन विभाग की पाक्षिक समीक्षा बैठक में करेंगे।

6. मुझसे यह भी कहने की अपेक्षा की गयी है कि प्रत्ये लोक अधिकारी (Public servant) को यह अवगत करा दिया जाये कि यदि वह अनिबन्धित/न्यून स्टाम्पित लेख पत्रों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं अथवा ऐसे लेख पत्रों को सहायक महानिरीक्षक को संदर्भित नहीं करते हैं तो यह मानते हुए कि उनके द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई, दण्डित किया जा सकता है।

7. उक्त निर्देशों का अनुपालान कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या–2204 (1)क0नि0–5/11–5–2010–500 (19)/2010

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त, स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि किस प्रकार के विलेख पर कितना स्टाम्प/निबन्धन शुल्क वांछित है, के सम्बन्ध में एक पृष्ठ का ready reckoner तैयार करके सभी विभागाध्यक्षों को एवं मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के माध्यम से सभी मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर बंटवाकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव

<u>प्रारूप</u>

विभाग / कार्यालय का नाम
जनपद...................................
कार्यालध्यक्ष / लोक सेवक का नाम–
पदनाम–
माह..

<u>माह में प्राप्त अनिबन्धित प्रलेखों का विवरण</u>

प्रस्तुत अनिबन्धित प्रलेखों की संख्या			सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को प्रेषित मूल विलेखों / छायाप्रतियों की संख्या			अ [illegible] य
ग त त म ा ह त क	म ा ह म ` .	क्र ि म क	ग त म ा ह त क	म ा ह म ` .	क्र ि म क	
1	2	3	4	5	6	7

नोट :– माह में यदि कोई ऐसा प्रलेख प्रस्तुत न हो, कालम नम्बर 2 व 5 में शून्य भरकर सूचना प्रेषित की जाये।
संलग्नक : विलेखों की प्रतियॉ / मूल

पदनाम / हस्ताक्षर